

नारी सशक्तीकरण संकल्प से सिद्धि



5वां चरण

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन



ये केंद्र महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समर्पित सहायता प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं।

शक्ति केंद्रों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की शिकायत लेने से लेकर विधिक कार्यवाही तक पूरी सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य के सभी 1,647 थानों में महिलाओं की सुरक्षा, सहयोग और संरक्षण हेतु मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है।

मिशन शक्ति केंद्र

इन केंद्रों पर महिला संबंधित मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य किया जाता है।

यह व्यवस्था महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ समाज में पुनः स्थापित करने में सहायक है।

प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों के समन्वय से पीड़ित महिलाओं का मानसिक और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है।



एक पेड़ माँ के नाम

► वर्ष 2025: 37.21 करोड़+ वृक्षारोपण ◀

सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान जैसे "एक पेड़ माँ के नाम", सार्वजनिक भागीदारी आधारित वृक्षारोपण अभियान, वन विभाग द्वारा सघन वन रोपण इत्यादि कार्यक्रमों ने मूल्यवर्धित परिणाम दिए।

निराश्रित महिला पेंशन योजना

► 36.75 लाख महिलाएं लाभान्वित ◀

पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र निराश्रित महिला को प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

► 26.34 लाख बेटियां लाभान्वित ◀

बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है। प्रारम्भ में इसके अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता छह चरणों में प्रदान की जाती थी। अब प्रदेश सरकार ने यह सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

► 4.67 लाख जोड़ों का विवाह ◀

निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिल रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

► 60 लाख माताएं लाभान्वित ◀

योजना के तहत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण में 2,000 रुपये और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं। शेष 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता तब मिलती है, जब गर्भवती महिला बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती हो या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो।

ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग

घर बैठे समाधान : महिलाओं को थाने जाने की आवश्यकता नहीं।

विशेषज्ञ काउंसलिंग : घरेलू विवाद, हिंसा व आत्महत्या रोकथाम में मदद।

जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक कुल 10,102 शिकायतें दर्ज, 9,760 मामलों का समाधान।

महिला रात्रि एस्कॉर्ट सुरक्षा

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सहायता हेतु कॉल किए जाने पर यूपी-112 द्वारा महिला को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था।

रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष

जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता हेतु इस कोष की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत अब तक 7,105 महिलाओं/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गयी।

एण्टी रोमियो स्क्वाड

सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहों, बाजारों, माल्स, पार्क, स्कूल, कालेज कोचिंग संस्थान व अन्य स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन एवं टिप्पणियों की घटनाओं को रोकना एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा किया जाता है।

बैंकिंग कॉर्रेस्पॉण्डेंट सखी

जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने हेतु प्रदेश की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बी.सी. सखी को पदस्थापित किया गया। बी.सी. सखी को प्रति माह 4,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

हेल्पलाइन

1076

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090

वीमेन पॉवरलाइन

101

अग्निशमन सेवा

108

एंबुलेन्स हेल्पलाइन

112

पुलिस आपातकाल सेवा

102

गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन

1930

साइबर हेल्पलाइन

181

वीमेन हेल्पलाइन

1098

चाइल्ड लाइन